



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 948/2026

सत्यपाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रधान सचिव (गृह), सिविल सचिवालय, लखनऊ
तथा अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता

: ओ.पी. तिवारी, सुषील वैश

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 14

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वाद संख्या 2228/2011, जो कि अपराध संख्या 547/2004, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव से संबंधित है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जाए।
3. मामले पर विस्तार से बहस के पश्चात, आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह इस आवेदन को गुण-दोष के आधार पर आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तथा अपनी प्रार्थना को केवल इस सीमा तक सीमित रखते हैं कि आवेदक को संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने एवं जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, तथा यह निर्देश दिया जाए कि उक्त जमानत प्रार्थना पत्र को विधि के अनुसार शीघ्रता से सुना और निर्णय किया जाए।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एवं अभिलेख का अवलोकन करने पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है।

6. इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866 तथा हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 (क्रि.) 426, बिहार राज्य बनाम पी. पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रि.) 192 तथा अंत में इंडू फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) 2005 एससीसी (क्रि.) 283 तथा परबतभाई अहीर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एआईआर 2017 एससीसी के मामलों में प्रतिपादित किया गया है।

7. अतः, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आरोप-पत्र को निरस्त करने के लिए की गई प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

8. इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने अमरावती एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004 (57) एएलआर 290) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लाल कमलेन्द्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2009 (3) एडीजे 322 (एससी)) और हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (एमएनयू/एससी/0274/2017) में आपराधिक न्यायालयों को जमानत प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु विभिन्न निर्देश दिए हैं। उपर्युक्त निर्णयों का अनुपात स्पष्ट करता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की पृष्ठभूमि में, जहाँ किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर हो, जमानत प्रार्थना पत्र का शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए।

हाल के निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वप्रेरणा रिट (क्रि.) संख्या 1/2017 (इन रे: आपराधिक विचारण में कमियों एवं त्रुटियों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के विषय में बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य) में, दिनांक 20.04.2021 के निर्णय एवं आदेश द्वारा, आपराधिक मामलों की कार्यवाही में होने वाली सामान्य कमियों पर विचार किया और “आपराधिक व्यवहार नियमावली, 2021” को स्वीकृति प्रदान की। उक्त नियमों के अध्याय V, नियम 17 के अनुसार, गैर-जमानती मामलों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में जमानत प्रार्थना पत्र का सामान्यतः प्रथम सुनवाई की तिथि से 3 से 7 दिनों के भीतर निस्तारण किया जाना चाहिए। यदि उक्त अवधि में निस्तारण नहीं किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी को आदेश में ही उसके कारण अंकित करने होंगे।

इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य (विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) संख्या 5191/2021) में जमानत प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देश पहले ही निर्धारित कर दिए हैं, बिना संबंधित न्यायालयों के विवेकाधिकार एवं प्रासंगिक विधिक प्रावधानों को सीमित किए। अतः इस न्यायालय द्वारा कोई विशेष निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपेक्षा की जाती है कि संबंधित न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेगा।

9. उपर्युक्त निर्णयों की पृष्ठभूमि में तथा मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह आवेदन इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि यदि आवेदक आज से 30 दिनों के भीतर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसकी जमानत प्रार्थना पत्र पर विधि के अनुसार शीघ्रता से विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

10. आज से 30 दिनों की अवधि तक अथवा जब तक आवेदक जमानत के लिए आवेदन नहीं करता, जो भी पहले हो, उक्त मामले में आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

11. आवेदक को उपयुक्त चरण पर डिस्चार्ज आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

दिनांक: 18 मार्च, 2026

गौरा वी/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।